लोक सुनवाई का वृत।

श्री अजय कुमार (सैंड माईनिंग प्रोजेक्ट), ग्राम–नरारीकलाखुर्द, जिला–औरंगाबाद द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट–31, मौजा–शेखपुरा, पो0–बारूण, थाना–बारूण 190, ब्लॉक–बारूण, जिला–औरंगाबाद अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 30.05.2023 को पूर्वाह्न 11:58 बजे प्रखंड सभागार, बारूण जिला–औरंगाबाद के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2065/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 30.05.2023 को पूर्वाह्न 11:58 बजे प्रखंड सभागार, बारूण, जिला–औरंगाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, नवबिहार टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 25.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट–31, मौजा–शेखपुरा, पो0–बारूण, थाना–बारूण 190, ब्लॉक–बारूण, जिला–औरंगाबाद के लेसी को मंच पर आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी या उनके प्रतिनिधि द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष की अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम–नरारीकला, थाना–नरारीकलाखुर्द, जिला–औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू लदे वाहनों का परिवहन के दौरान सड़क जाम होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा लेसी को निदेश दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान वाहनो को सड़क पर लगाना वर्जित रखेगें। साथ ही अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी से वार्ता कर जिला परिवहन पदाधिकारी को भी समय–समय जॉच करने हेतु निदेश भी दिया जायेगा। इसप्रकार श्री धमेन्द्र कुमार को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।

2.	श्री राम लखन सिंह, ग्राम–मुंशीबिगहा, जिला–औरंगाबाद।	इनके द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ पर रैयती जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसका मुआवजा का भुगतान से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि यह लोक सुनवाई बालू घाट से संबंधित है फिर भी श्री राम सिंह के द्वारा उठाये गये बिन्दु पर अपने मंतव्य देते हुए बतलाया कि अगर जमीन रैयती है तो जिला भूमि सुधार पदाधिकारी (डी0सी0एल0 आर0) को आवेदन दे ताकि लंबित मुआवजा भुगतान की राशि आवेदक को उपलब्ध कराई जाय। अगर जमीन गैरमजरूआ है तो वे आवेदन अंचालधिकारी को दे और श्री राम सिंह को आश्वस्त किया कि वे अपना सभी कागजात लेकर उनके कार्यालय आये ताकि आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जा सके। इसप्रकार श्री राम लखन सिंह को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री राजू कुमार एवं श्री धीरज कुमार, ग्राम–शेखपुरा, जिला–औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू लदे वाहनों का परिवहन के दौरान सड़क जाम होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा लेसी को निदेश दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान वाहनो को सड़क पर लगाना वर्जित रखेगें। साथ ही अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी से वार्ता कर जिला परिवहन पदाधिकारी को

		भी समय–समय जॉच करने हेतु निदेश भी दिया जायेगा। इसप्रकार श्री राजू कुमार एवं श्री धीरज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

02.6.23
अपर समाहर्त्ता
औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

श्री अजय कुमार (सैंड माईनिंग प्रोजेक्ट), ग्राम—नरारीकलाखुर्द, जिला—औरंगाबाद द्वारा सोन घाट 31, सोन नदी, मौजा—शेखपुरा, पो0—बारूण, थाना—बारूण 190, ब्लॉक—बारूण, जिला—औरंगाबाद का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 30.05.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रखड सभागार बारूण, जिला—औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ashish Kumar sinha	ADM Aurangabad	[signature] 30.5.23
2.	Manoranjan Kr Singh	R.O B.S.P.C B. Aurangabad	[signature] 30.5.23
3.	Manish Kumar	Env. Consultant Rian Enviro Private Limited, Patna	Manish
4.	Ravi Ranjan	Env. Consultant Rian Enviro Pvt Ltd.	Ravi
5.	रिन्टु कुमार	शेखपुरा	रिन्टु - कुमार
6.	उमेश कुमार	शेखपुरा	उमेश कुमार
7.	राजू कुमार	शेखपुर	Raju
8.	Dheeraj Kumar	Sekhpura	Dheeraj Kumar
9.	Rajesh Kumar	Sekhpura	Rajesh

10.	आरूण साव	शेरवपुरा 7479433555	आरूण
11.	सुनील कुमार	शेरवपुरा 7633022892	सुनील कुमार
12.	राजू कुमार	7870948491 शेरवपुरा	राजू कुमार
13.	नेपेरा	शेरवपुरा	नेपेरा
14.	श्याम	शेरवपुरा	श्याम
15.	गोलू	शेरवपुरा	गोलू
16.	Dilip kumar	शेरव पुरा 6204363440	DZ
17.	मुन्ना	शेरवपुरा 8340246435	[illegible]
18.	अजय कुमार	6203711641 शेरवपुरा	अजय
19.	दिनेश कुमार	शेरवपुरा	दिनेश कुमार
20.	सुनिलकुमारसिंह	शेरवपुरा	सुनिलकुमारसिंह

21.	राजन कुमार	शरवकुरा 8877330658	राजन कुमार
22.	अजय कु० सिंह	श्रेवपुरा 6200115339	~~6200115339~~ अजय कु० सिंह
23.	निघु कुमार	8709201735 श्रेवपुरा	निघु कुमार
24.	सनी कुमार	जंगी बिगहा	सनी कुमार
25.	पीयू कुमार	जंगीबिगहा	पीयू कुमार
26.	अनिल कुमार	नरसोसी कला 8340764297	अनिल कुमार
27.	धर्मेन्द्र कुमार	Dharmen Narari Kala	Dh
28.	कंचन कुमारी	बारूणा	कंचन कुमारी
29.	किरन कुमारी	बारूणा	किरन कुमारी
30.	मिरा देवी	बारूणा	मिरा
31.	राधा देवी	बारूणा	राधा

32.	आमिरता देवी	बारुणा	आमिरता
33.	उर्मिला देवी	बारुणा	उर्मिला
34.	शकुन्तला देवी	बारवण	
35.	प्रमिला देवी	बारवण	
36.	Raju Kumar	शेखपुरा, [illegible] 6299398608	Raju Kumar
37.	उपेन्द्र कुमार	शेखपुर	उपेन्द्र कुमार
38.	Raju kumar	Sheikpura-	[signature]
39.	Bablu yadav	sekhpura	Bablu yadav
40.	Ram Lakhan Singh	Sekhpura.	[signature]
41.			
42.			